न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः हरि मोहन मीना I.A.S.

प्रकरण संख्या – 20/2016 (आवन्टन निरस्तीकरण)

जीसीएमएस नं0 2016/00068

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, रामगंजमण्डी जिला कोटा।

––प्रार्थी.

बनाम

राधकिशन आत्मज कान्हा जाति कुल्मी निवासी धरनावद तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा

––अप्रार्थी.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवन्टन) नियम 1970

उपस्थिति

1. श्री बृजराज सिंह चौहान, राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक –14/06/2022

1. प्रकरण के सम्बन्ध में तथ्य इस प्रकार है कि आवंटी अप्रार्थी राधाकिशन पुत्र कान्हा जाति कुल्मी निवासी धरनावद तहसील रामगजमण्डी जिला कोटा को ग्राम धरनावद तहसील रामगंजमण्डी की आराजी खसरा नम्बर 247 की रकबा 0.02 हे0 भूमि कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी । पटवारी रिपोर्ट अनुसार आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा नहीं होने तथा आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की जाने से अप्रार्थी को किये गये उक्त आवंटन को आवंटन नियम 14(4) के तहत निरस्त कराने हेतु प्रार्थी तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा प्रकरण इस न्यायालय में दिनांक 12.04.2016 को पेश किया गया ।
2. प्रकरण पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी आवंटी को नोटिस जारी किया जाकर तलब किया गया । अप्रार्थी द्वारा दिनांक 6.9.2016 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आवंटित भूमि पर कब्जा नहीं होने से आवंटन निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया । तत्पश्चात आवंटी उपस्थित नहीं हुआ । राजपक्ष की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित । राजकीय अभिभाषक को सुना गया ।
3. राजकीय अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया है कि अप्रार्थी द्वारा आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं करने से आवंटन निरस्त योग्य होने से आवंटन निरस्ती का प्रकरण भिजवाया गया है किन्तु पत्रावली मे प्राप्त वर्तमान पटवारी रिपोर्ट दिनांक 7.6.2022 अनुसार आवंटित भूमि खसरा नम्बर 247 करबा 0.02 हे0 आवंटी के कब्जे काश्त में होना बताया है ऐसी स्थिति में कब्जा काश्त की जांच कराई जाकर उसी अनुरूप कार्यवाही की जा सकती है ।
4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं पटवारी हल्का धरनावद की वर्तमान रिपोर्ट दिनांक 7.6.2022 का अवलोकन किया । आवंटी को ग्राम धरनावद की खसरा नम्बर247 रकबा 0.02 हे0 भूमि कब आवंटित की गई तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में कहीं उल्लेख नहीं किया है । आवंटन निरस्तीकरण का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर अप्रार्थी को इस न्यायालय से नोटिस जारी किये गये जिस पर आवंटी स्वयं द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होने से आवंटन निरस्त करने हेतु निवेदन किया है तथा वर्तमान पटवारी रिपोर्ट दिनांक 7.6.2022 अनुसार उक्त आवंटित भूमि आवंटी के कब्जे काश्त में बतायी गई है, किन्तु

जिला कलेक्टर
कोटा

काश्त करने की पुष्टि में खसरा गिरदावरी संलग्न नहीं की है, जिससे कब्जा काश्त करने की स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही है ।

5. परिणामतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर इन निर्देशों के साथ पुनः तहसीलदार रामगंजमण्डी को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में रेकार्ड एवं मौका स्थिति की जांच करें कि आवंटित भूमि पर आवंटी का वास्तव में कब्जा काश्त है अथवा नहीं ? यदि कब्जा काश्त है तो आवंटी को नियमानुसार खातेदारी अधिकार दिये जावें । यदि आवंटी द्वारा कब्जा काश्त नहीं किया जा रहा है एवं आवंटन शर्तो की पालना नहीं की जा रही है तो कब्जा काश्त नहीं करने की पुष्टि में आवंटन से अब तक खसरा गिरदावरी की नकलों के साथ आवंटन निरस्तीकरण का प्रकरण भिजवाया जावें ।

6. निर्णय आज दिनांक 14.06.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(हरि मोहन मीना)
जिला कलक्टर, कोटा
जिला कलेक्टर
कोटा